

"That the amendment made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to."

The question was put and the motion was adopted.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE FINANCE (SECOND AM- ENDMENT) ORDINANCE, 1990 AND

II. THE TAXATION LAWS (AM- ENDMENT) BILL, 1991—CONTD.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Finance Act, 1990 and the Income-tax Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the hon. Members are aware that as a result of the crisis in the Gulf, the Government has undertaken a massive effort to evacuate Indians working in the area and provide relief to them. With a view to partly meeting the cost involved in this effort, the Government had decided to mobilise additional resources through *inter alia* increase in the surcharge of income tax, payable by domestic companies. Since the Parliament was not in Session and it was necessary to take immediate action to raise the resources, the Finance (Second Amendment) Ordinance, 1990 was promulgated by the President on the 15th October 1990. Under the Ordinance, the surcharge payable by domestic companies during the financial year 1990-91 for income exceeding 75,000 rupees was increased from 8 per cent to 15 per cent. The Ordinance provided that the surcharge at the higher rate of 15 per cent would apply by deducting tax at source from payments made to domestic companies. As such, deduction is to be made under the various provisions of the Income-tax Act 1961 and the Finance Act of 1990. (Interruptions)

श्रीमती सुवमा स्वराज (हरियाणा)
महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...
(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please let him conclude.

श्रीमती सुवमा स्वराज : सदन में कोरम पूरा नहीं है। ... (व्यवधान)
वह कैसे पूरा है? पच्चीस सदस्य नहीं हैं सदन में—कोरम पूरा नहीं है, और मंत्री जी बिल पेश कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : यह विषय हाऊस में नहीं उठाया जाता है।

SHRI DIGVIJAY SINGH: The Ordinance also provided that the enhanced rates... (Interruptions).

श्रीमती सुवमा स्वराज : क्यों? ...
(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : गड़बड़ होती है। ... (व्यवधान)

श्री शंकर बयाल सिंह (बिहार) : महोदय, परंपरा के अनुसार राज्य सभा में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता है, यह ठीक है। लेकिन यदि किसी सदस्य ने यह प्रश्न उठा दिया है, तो आपको इस पर रूलिंग देनी चाहिए। घंटी बजानी चाहिए और जब कोरम हो जाए, तब बात बढ़े।

यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): If you desire so, we can adjourn the House for lunch.

पेट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)
उनकी यह इच्छा नहीं है।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: But in the Business Advisory Committee, it was decided... (Interruptions).

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): But, Sir, it was not her wish that the House should be adjourned for lunch. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): She said that there is no quorum in the House.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): But how can you work without quorum? (Interruption).

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Sir, you have already announced the adjournment of the House for lunch.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Then, the House stands adjourned for lunch and we shall meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at fourteen minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock.

The Vice-Chairman (Shri Shankar Dayal Singh) in the Chair.

I. Statutory Resolution Seeks Disapproval of the Finance (Second Amendment) Ordinance, 1990—
Contd.

II. The Taxation Laws (Amendment) Bill, 1991—Contd.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, I beg to move—

That the Bill further to amend the Finance Act, 1990 and the income-Tax Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, honourable Members are aware that as a result of the crisis in the

Gulf, the Government had undertaken a massive effort to evacuate the Indians working in that area and to provide relief to them. With a view to partly meeting the costs involved in this effort, the Government had decided to mobilise additional resources through, *inter alia*, increase in the surcharge on income-tax payable by domestic companies. Since the Parliament was not in session and it was necessary to take immediate action to raise the resources, the Finance (Second Amendment) Ordinance 1990 was promulgated by the President on the 15th October, 1990. Under this Ordinance the surcharge payable by a domestic company during the financial year 1990-91 on incomes exceeding Rs. 75,000 was increased from 8 per cent to 15 per cent. The Ordinance provided that the surcharge at the higher rate of 15 per cent would apply while deducting tax at source from payments made to a domestic company where such deduction is to be made under various provisions of the Income-Tax Act, 1961, and the Finance Act 1990. The Ordinance also provided that the enhanced rate of surcharge would apply while collecting tax at source from a domestic company engaged in the business of trading in alcoholic liquor for human consumption (other than Indian made foreign liquor) or forest produce as well as while computing the amount of advance tax to be paid during the financial year 1990-91. As the date by which the first instalment of advance tax due on 15th September, 1990 had already lapsed before the Ordinance was promulgated and the Government's intention was to raise additional resources immediately the Ordinance provided that the surcharge in respect of the instalment of advance tax payable on 15th September, 1990 could be paid by 15th November, 1990.

This will yield a revenue of about Rs. 400 crores.

One of the objectives of the Bill is to replace the provisions of the

Finance (Second Amendment) Ordinance, 1990.

The present Government, after assuming office, under took a review of the economic situation in the country. As a result of the Gulf crisis, which has affected import and excise duty realisation, and the domestic disturbances which have affected production and movement of goods, the budgetary deficit might reach an alarming level unless immediate steps are taken to restore some balance in the fiscal account. As a part of the strategy to meet this challenge, the Bill seeks to enhance the rate of surcharge on personal income-tax from the existing rate of 8 per cent to 12 per cent. Under this proposal resident non-corporate taxpayers having a taxable income exceeding Rs. 75,000 during the financial year, 1990-91 will be required to pay a surcharge on income-tax at the rate of 12 per cent of income-tax as against the present rate of 8 per cent. The additional surcharge will be levied while deducting tax at source from incomes subject to such deduction paid after the date on which the Bill, as enacted, received the assent of the President. Similarly, surcharge at the enhanced rate will be levied in cases where under certain special provisions of the Income-Tax Act assessments of the current incomes are to be made during the current financial year and these assessments are made after such date.

Non-corporate resident taxpayers liable to advance tax during the current financial year will also be required to take into account the enhanced rate of surcharge while calculating their liability to advance tax. They will be required to make good the deficiency in the first two instalments on this account while paying the last instalment due on the 15th March, 1991. Persons, responsible for paying salary income will

also be required to adjust the deduction from such income during the remaining part of the current financial year so as to recover the surcharge at the enhanced rate for the whole year.

This proposal is likely to yield a revenue of Rs. 140 crores in a full year. The estimated revenue during the remaining part of the current financial year is Rs. 60 crores.

Another proposal for additional resource mobilisation in the Bill relates to the business sector. At present, depreciation in respect of plant and machinery used for purposes of the business is calculated at the rate of 33.33 per cent, 50 per cent and 100 per cent and in respect of other assets like buildings at 20 per cent. As a one-time measure, the Bill seeks to restrict the deduction on account of depreciation in respect of plant and machinery and other assets used for the purposes of the business or profession to 75 per cent of the sum calculated at the rates of depreciation prescribed under the Income-Tax Act. Since the proposed restriction on depreciation allowance cause hardship to small businesses, normally carried on as partnership firms or as proprietary concerns, it will, therefore, not apply to the non-corporate taxpayers. The proposal to restrict the depreciation allowance will have the effect of increasing the tax base of corporate taxpayers carrying on business for the assessment year 1991-92 to the extent of about Rs. 2400 crores resulting in additional revenue of about Rs. 1100 crores in a full year. Out of this, about Rs. 750 crores are estimated to be collected during the current financial year. And, Sir, the other provisions in the Bill are of a consequential nature.

Sir, I trust that this Bill will receive the unanimous support of this House.

Sir, I move the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): The

[Shri Shanker Dayal Singh]

Bill has been moved by the Minister. Now, Mr. S. S. Ahluwalia will move his own Resolution.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया :
मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ:-

“यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 अक्टूबर, 1990 को प्रस्थापित वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।”

उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है समय-समय पर जब सदन न चलता हो तो आर्डिनंस पास करने का और ऐसे आर्डिनंस सरकार की सलाह पर ही पास किए जाते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले साल विश्वनाथ प्रताप सिंह 11 महीने के शासनकाल में आर्टिकल 123, जिसके तहत राष्ट्रपति महोदय ऐसा अध्यादेश पास कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग करते रहे हैं।

महोदय, एक बात तो बड़ी उजागर हुई थी कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की जमीन को एक्वायर करने के बलिये जो अध्यादेश पारित किया गया था, वह चार दिन में उस सरकार को कोपिस लेना पड़ा था और इस अध्यादेश अ पहले जिस अध्यादेश को—दिवसेशन लांज मेंडमेंट बिल, 1990 को लाने से पहले जो अध्यादेश पारित किया गया था वह था—दि फाइनेंस सिकिड अमेंडमेंट आर्डिनंस, 1990 (नम्बर 8 आफ 1990), यह अध्यादेश 15 अक्टूबर, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा पास किया गया था। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि मूलक के राष्ट्रपति को भी पिछली सरकार ने खिलौने के रूप में प्रयोग किया है। महोदय, शर्म की बात है कि एक ही दिन के अंदर उस सरकार ने इसी तरह का एक और अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय से पास करवाया। 15 अक्टूबर को ही उन्होंने “दि फाइनेंस अमेंडमेंट आर्डिनंस, 1990 (नम्बर 6 आफ 1990)” पास

करवाया और पास करवाने के बाद उसी दिन उस अध्यादेश को वापिस लिया। मकसद यही था जिस मकसद को लेकर आज टेक्सेशन बिल को लेकर मंत्री महोदय सदन में उपस्थित हुए हैं। महोदय शर्म की बात तो यह है कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक अध्यादेश पास करने के लिए परपोजल राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है तो उस पर पूरा गौर या विचार करने के बाद ही उसे भेजना चाहिए बिना विचार किए या गौर किए मात्र 8 घंटे के आफिस आवर के अंदर दो अध्यादेश एक ही विषय को लेकर एक ही रीजन, एस एस एण्ड आब्जेक्ट्स को लेकर पास किए गए जिसमें एक अध्यादेश वापिस लिया गया और एक अध्यादेश बिल के रूप में हमारे सामने उपस्थित किया गया।

महोदय, अभी सुबह हम लोग एक बिल पास कर रहे थे—रिजर्व बैंक आफ इंडिया का बिल। उसमें भी मकसद सिर्फ यही था कि गल्फ क्राइसिस जो है, उसका सामना करने के लिए और उससे अपने देश की आर्थिक अवस्था का सामना करने के लिए हमें अपनी सीने की कीमत का रिवेल्यूएशन करना पड़ रहा है और लंदन की प्राइस पर हम रिवेल्यूएशन करके अपनी अवस्था को सुधारकर सामने पेश कर रहे हैं। यह टेक्सेशन बिल भी लाये हैं इस पर भी वही मुद्दा है कि गल्फ की क्राइसिस के कारण हमारे देश की आर्थिक अवस्था जो आ रही है और आर्थिक कठिनाईयां जो आ रही हैं उसका सामना करने के लिए हम सरचार्ज लगा रहे हैं। महोदय, बड़े दुख की बात है कि पिछले बजट में जब वी०पी० सिंह का नाम लेता हूँ कि विनाश शब्द अपने मुँह से निकलता है... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) :
मुक्त में प्रचार कर रहे हैं नाम ले-लेकर।

SHRI S. S. AHLUWALIA: It is not your fault.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
ऐसा है अहलुवालिया जी, आप इसको
मूव कर दीजिये और अगर कम समय
ले.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
मेरी बात सुन लीजिये आप तब अपना
रूलिंग दीजिएगा, मैं मान लूंगा। आप
कहिऐगा तो मैं वापिस चला जाऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
रूलिंग नहीं मेरा अनुरोध है, आप सुनिये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
आर्टिकल 123 के तहत जो भी आर्डिनेंस
पास करेगा, जो रिजोल्यूशन मंत्री महोदय
मूव करते हैं और जो डिस्पूबल के
लिये मूव करते हैं उसको बोलने का
अधिकार है। अगर वह अधिकार आप
छीन लेना चाहते हैं सदस्यों का....
(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
आप मेरी बात सुन लीजिये। मैं आपके
अधिकारों पर किसी तरह का प्रहार
नहीं कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध केवल
यह है अहलुवालिया जी कि आज सदन
का आखिरी दिन है, देर रात तक हम
लोग बैठेंगे और काम बहुत है, हाऊस
के सामने बिजनेस बहुत है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वर्तमान
सत्र का आखिरी दिन है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
हां, आखिरी दिन है। वर्तमान सत्र का
आखिरी दिन है। मालवीय जी ने जो
कहा वह मैंने मान लिया और मेरा यह
कहना था कि अगर जल्दी-जल्दी काम आज
निबट जाये तो अच्छी बात है। मैं आपके
अधिकारों पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ।
मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जितने
कम समय में मूव कर सकें वह खुशी की
बात है।

**श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह (महा-
राष्ट्र) :** मेरा पॉइंट आफ आर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
अब आपका पॉइंट आफ आर्डर मैं नहीं
स्वीकार कर रहा हूँ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मुझे
इजाजत दीजिये, मेरा पॉइंट आफ आर्डर
है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
नहीं-नहीं।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : बड़ा
जल्दरी पॉइंट आफ आर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
किस रूल के अनुसार?

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : यहां
एक पक्षपात हो रहा है सर, हाऊस में।
मैं हाऊस में सुबह आया तो अहलुवालिया
जी बोल रहे थे। मुझे एक मीटिंग के
लिये जाना था, मैं चला गया। उसके
बाद मैं आया तो अहलुवालिया जी बोल
रहे थे। फिर मैं चला गया। मैं डेढ़ घंटे
बाद वापिस आया हूँ तो अहलुवालिया
जी बोल रहे हैं। यह बहुत पक्षपात हो
रहा है, इससे बचाइये हमें।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) :
हाऊस की समाप्ति के समय भी जब
जाते रहेंगे तब भी अहलुवालिया जी बोलते
रहेंगे।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि आज
इस सत्र का आखिरी दिन है और काम
बहुत हैं। बात सच है कि काम भी
बहुत है पर नुकसान भी बहुत हो चुका
है। इस मुल्क को पिछले 11 महीनों में
पिछली सरकार ने जो नुकसान पहुंचाया
है और जो विनाश किया है इस विनाश
प्रताप सिंह ने वह भी जनता तक पहुंचना
बहुत जरूरी है। ऐसे अध्यादेशों को पास
करके जिस तरह अध्यादेशों के माध्यम
से इस मुल्क की उच्चतम चेंबर को भी
मिस-यूटिलाईज किया गया और अध्यादेश
सुबह पास किये जाते हैं और दोपहर

[श्री सुरेन्द्राजीत सिंह अहलुवालिया]

को वापिस ले लिये जाते हैं और उसी अध्यादेश को दूसरे रूप में पेश करके फिर वापिस लाया जाता है। यह क्या खिलवाड़ है, मैं जानना चाहता हूँ? आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये यह मांग करूंगा कि आखिर वह कौन सा अध्यादेश था और क्या खामी रह गयी थी उसमें जो कि एक दिन में ही वापिस लेकर यह जो "दि फायनेंस अमेंडमेंट आर्डिनैस-1990 (नं० 6 आफ 1990)" 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने पास किया था, इसी चीज को सामने रखते हुये और ग्राम को उसको फिर वापिस लिया और फिर उसी मुद्दे पर "दि फायनेंस सैकंड अमेंडमेंट आर्डिनैस-1990 (नं० 6 आफ 1990)" पास किया। क्या कारण था, क्यों वापिस लिया गया था वह अध्यादेश? क्यों वापिस लिया गया और अगर उसमें कोई कमी थी तो उस कमी के लिये कौन जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार अफसर के लिये या मंत्री पर या जो भी रहा हो उस पर क्या कार्यवाही करेगी सरकार? अगर कंस्टीट्यूशन असेंबली में और हमारे कंस्टीट्यूशन बनाने वालों ने हमारे संविधान में अगर आर्टिकल-123 दिया है तो उसका दुरुपयोग क्यों दिन पर दिन हो रहा है, मैं इस सवाल पर बोलना चाहता हूँ और इसका दुरुपयोग करके हमारे सामने अब आप सदन में कहते हैं कि काम बहुत है, खत्म करना है। यह जनता को पता लगना चाहिये कि किस तरह संविधान की धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है और महोदय, पिछली सरकार ने बड़े गर्व से अपना बजट घोषित करते हुये कहा था। पिछली सरकार के वित्त मंत्री महोदय ने बड़े गर्व से घोषणा की थी और इंडिविज्युअल टैक्स पेयर्स पर, जो कि 75,000 रुपए की स्लेब में आते थे, 8 परसेंट सरचार्ज लगाया गया था। आज उसे बढ़ाकर 12 परसेंट कर दिया गया है और कंपनियों पर जो पहले 8 परसेंट था, उसे बढ़ाकर 15 परसेंट कर दिया गया है।

महोदय, हमारे देश में 50 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए की रेंज

में इनकम टैक्स रिटर्न प्लिस करने वालों की संख्या 61 लाख 10 हजार है। ये अंतिम स्लेब है जिस पर आप सरचार्ज बढ़ा रहे हैं और ये 61 लाख 10 हजार जो लोग हैं, जिनकी आय सब कटौतियां करने के बाद 75,000 रुपए से ऊपर है; उन पर आप 8 परसेंट से 12 परसेंट का सरचार्ज लगा रहे हैं। इसके बाद तो शुरूआत हो जाएगी, 50,000 रुपए पर शुरूआत होगी, 35,000 रुपए पर शुरूआत होगी। आप नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। आप क्यों नहीं दूसरा रास्ता ढूँढते? उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार क्यों नहीं दूसरा रास्ता ढूँढती? सरकार इन समस्याओं, इन आर्थिक विषमताओं को मीट करने के लिए दूसरा रास्ता क्यों नहीं ढूँढती है? यह तो इंडिविज्युअल टैक्स पेयर के ऊपर सारा ज़बाव आएगा। आपने छोटे-छोटी फर्मों पर भी लगा दिया 8 परसेंट से 15 परसेंट और यह जो सरचार्ज आपने लगाया इसका इफेक्ट सोसायटी पर, मुल्क पर पड़े उसके लिए आपने कौन सा रास्ता अपनाया है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी तो और भी गंभीर समस्याएं आ रही हैं। गल्फ कंडीशन के कारण ही सब कुछ है, गल्फ की सिचुएशन के कारण ही यह भार हमें संभालना पड़ रहा है और सरचार्ज लगाए जा रहे हैं। मिस्टर बेकर और तारिक अजीज की जो भेंट थी, उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, जो गल्फ वॉर रोकने के चांसेज थे, वे एक गंभीर रख की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है कि 15 तारीख की सुबह एक काली सुबह हो, 15 तारीख का दिन एक काला दिन हो। इतिहास में एक तरफ हमने न्यू-क्लियर वैंपस का प्रयोग न करने के लिए अमरीका और रशिया और दूसरे बड़े-बड़े देशों से अनुरोध किया, भारत ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई पर आज में एक अहम भूमिका निभाई पर आज अगर उन्होंने न्यूक्लियर वैंपस का प्रयोग होता है और अधिक विपदा हमारे देश पर आ पड़ती है तो उसके लिए आपके पास क्या कंटीजेंसी प्लान है?

महोदय, आपने अभी 75,000 रुपए पर यह सरचार्ज लगाया है, क्या आप और नीचे आएंगे, क्योंकि आपने आलरेडी 12 परसेंट सरचार्ज लगा दिया। क्या इसके बाद जिनकी कमाई 50,000 रुपए है या 35,000 रुपए है उन पर भी आप यह सरचार्ज लगाने जा रहे हैं? महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार तक उन लोगों की आवाज पहुंचाना चाहता हूँ जिनकी कमाई 35,000 रुपए और 50,000 रुपए तक सीमित है, उसके ऊपर वे जहाँ जा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर एक आर्टिकल 123 के माध्यम से कोई आडि-नेंस पास करके उनके सि. 9 भी इसी तरह का सरचार्ज लगाया जाएगा? मैं यही आवाज बुलंद करने के लिए इस बिल का विरोध करता हूँ।

The questions were proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): The Resolution and the Motion for the consideration of the Bill are now open for discussion. Shri Jagesh Desai.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, though the scope of the Bill is limited, I would confine myself to some of the observations made by the Finance Minister at the time of presenting the Budget. At that time, he had declared that we will do our best to see that incomes which are evaded and which are called 'concealed' and in the popular term known as black money, will be brought out. Not only that, there was no mention in his speech that they will come up with schemes by which black money invested in social housing or for such other purposes will get some taxation. I would sion with regard to taxation. I would like to place my view on this issue.

I am of the firm view that no concession should be given to such persons who have concealed income. The only concess'ion which the Government can give is to the honest and not to the dishonest taxpayers because they only

understand the language of harsh punishment which can be given to them. So, please don't go in for such schemes. In the past also such schemes were there and I will particularly give one example. It was decided by the Government that income of those who declare it, will be taken separately and will not be added and they will be taxed only on that income at the rate applicable to that income. Many of the assesseees having black money declared Rs. 15,000 in the name of one minor child, another 15,000 rupees in the name of another minor child, because those days persons with income of Rs. 15 or 20 thousand were not liable to tax, and that way, those assesseees gave 20 to 30 declarations and got the exemption and converted it into white money. As far as I am concerned, I am against such schemes. The only scheme they can understand is the scheme of harsh action. Raids should be conducted; seizures should be undertaken. But unfortunately, when some of the officials of the taxation department—both excise and income-tax—go for a raid, the local shopkeepers and big businessmen gherao them and beat them and don't allow them to carry on their work. Unfortunately, the previous Government, after coming to know that these officers are not willing to go for raids and seizures, and for six months, no raids and seizures were undertaken, resulting in lesser collection of taxes, said that they will give them all the help and reward to the honest officers and if the State Government because of law and order situation, were not able to spare some police force for this purpose, the Central Government itself should have some force so that their plans of raids are not leaked out and such force will remain at the disposal of the department. These raids and seizures can help in more collections and if you have to incur some expenses on this force, it can be covered by additional collection of taxes. So, I suggest that if the State Governments are not

[Shri Jagesh Desai]

able to provide the required force you can have your own personnel to give protection to these honest officials who go for raids.

Another point is, I want to remind you that the Gift Tax (Amendment) Bill was introduced last year. Eleven months have gone by, but the Bill has not come up. In this connection, I would like to refer to the earlier provision. Earlier, the whole scheme was different. The persons who gives the gift has to pay tax on it. But under this Bill which was introduced last year, the persons who receives the gift has to pay tax. Of course, the Bill has not been passed yet. It remains where it was. But there is utter confusion in the minds of those persons who have given gifts and those who have taken gifts.

S'r, I want to make it clear that I am against this Bill. Tax should be payable by the person who gives the gift. I would elaborate my point. Most of the gifts are given to divide the wealth, to divide the income. That's why it was decided that the tax will be levied on the person who gives the gift. But what is the position under this Bill? I can give Rs. 15,000 each. I do not remember the correct figure. I can give Rs. 15,000 each. I don't have to pay any gift tax on it. This was not the position earlier. If I give Rs. 15,000 each to six persons, which comes to Rs. 90,000 in all, I have to pay gift tax on the entire sum of Rs. 90,000. The then Finance Minister said—in regard to this Bill—that at the time of marriages, persons receive big amounts as gifts, and that, therefore he was bringing forward this provision. But how many such marriage take place? This would only lead to avoidance of Wealth-tax and Income-tax. If I were to put, say, Rs. 90,000 in fixed deposit, I would earn an interest of about Rs. 11,000, but if I have to pay gift tax on this amount, I will have to pay Rs. 6,000. Therefore, this sort of provision in the new Bill would lead to avoidance of gift tax. It is

good that the Bill has not been passed. Don't bring it. Let it lapse. This will be in the interest of the Exchequer. Otherwise, if the Bill is passed, there will be such kinds of transfers—as I pointed out—and there will be tax avoidance.

Last time, it was said by the Government that they would get an additional amount of Rs. 800 crores from corporate taxes. You took away the investment allowance. You reduced the corporate tax from 50 per cent to 40 per cent. I do not know why it was done. We want resources. By this, you have done injustice to the public sector undertakings. These public sector undertakings which require resources have to go to the public for money. These undertakings, like steel, coal, etc., require huge sums for their machinery. You have deprived them of 20 per cent. You have given the advantage to the multinationals. What about these multinationals? Take, for example, Colgate. Or, those who manufacture soaps. They require only a very small amount for their capital, but their production is very high. Therefore, they will benefit. They have to pay 40 per cent instead of 50 per cent. But these public sector undertakings, which are highly capital-intensive, are suffering. You reduce the corporate tax and yet you say that you would be getting an additional amount of Rs. 800 crores by way of corporate tax. I would like to know from the Minister, what is the present figure in regard to corporate tax collection? I say that instead of taxing the individual taxpayer, you should have retained the rate of 50 per cent in respect of corporate tax. You did not do it. I would like to point out that last year, except the cement industry, most of the major industries in the private sector doubled their profits. This is because you reduced the corporate tax. Instead of 50 per cent, they have to pay only 40 per cent. Depreciation is a charge

on expenses. If you want to reduce it—now you have reduced it, to 75 per cent—what will happen? No new machinery will be brought, production will not be there and as such whole development programme will come to a standstill. You have done it now, it is for the one year but I request you that you should take care in future because depreciation is a charge on expenses and you should not play with that.

Coming to another aspect relating to big industry groups, every year their accounts are overseen. We have found from the overseeing account—if I remember the figure of 1986-87—they had concealed the income to the tune of Rs. 250 crores. What are you going to do about that? If you can collect the taxes from big industries, you will not have to collect taxes from the small industry. And here the surcharge on income, it remains with the Central Government. At the cost of State Governments you want to augment your resources and that is not good. That is a fraud on the States. You should have collected taxes from the corporate sector. You could have increased wealth tax. My views are clear about estate duty. I have said about it earlier. I had said that by abolishing the estate duty you are losing revenue, but the ex-Finance Minister, Shri V. P. Singh, said that the revenue was only to the tune of Rs. 20 crores and as compared to this the administrative cost was more. I do not understand how it is more. The same officer who looks into the cases of income-tax and wealth-tax will be looking into the estate duty cases. Only there will be additional cost of paper. Some more officers could be appointed but the books should be scrutinised thoroughly. Your scheme about random checking, I think, has again generated the scope for black money. So, if they consider that my suggestions...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Why do you mean by 'if they'?

SHRI JAGESH DESAI: They will be in the Government. They are in the Government. So, I request them to consider my suggestions.

Then, I feel, by not having scrutiny of most of the accounts you are allowing the generation of black money. How does it happen? If I have some black money, I will credit it in the name of somebody, in the name of some 15—20 persons, deposit an amount of Rs. 15,000 to Rs. 20,000 in each account. So, my profit is very much less. You are not going to examine my books but those benami credits are my own money. I have made it legal by crediting the same in some names who will not withdraw it. It will remain there and again they will get interest by way of deduction. So, I wish the accounts of the big assesseees are scrutinised thoroughly. Even in other cases the officer should see what happened to the deposits in the earlier year and how much it is this year, why there is a big gap. If there is a big void he must question them and from that he will be able to know that these are benami transaction. Then you can get sizeable amount.

Now I come to the last point. As far as I know, this year the collection under income-tax and corporate tax is less than what it was in the earlier year up to this time. What are the reasons that collections have been very much less? This is the first time, as far as I know, in the last 15 to 20 years that the revenue on account of income-tax and corporate tax collection has been less than what it was in the earlier year. It is about 10 to 15 per cent less. So, I would like to know the figure as on 15th December because we can compare the same with the same date of the last year. What was the explanation given? Advance tax will be received. But the same thing was applicable earlier also. So, I would not

[Shri Jagesh Desai]

use harsh words. Don't put wrong facts before the people to conceal year inefficiency. As such, though in principle I support this Bill, I think the Government will take into account the observations which I have made. They must conduct raids on a very large scale and see that the unearned money, which is black money, is brought out so that they will not have to levy additional taxes. At least, if you get more money from direct taxes, you will not have to levy indirect taxes because it affects the common man. So, please gear up your machinery and collect the taxes which are due from those big people who have concealed their incomes.

With these word I support the Bill.

श्री संघ प्रिय गौतम : माननीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, मेरा और मेरी पार्टी का पूर्व, स कारों या उनके प्रधानमंत्रियों ने क्या किया या क्या नहीं किया, इसका अनावश्यक रूप से उल्लेख करने का कोई इरादा और आदत नहीं है श्री न ही मेरी श्री मेरी पार्टी की आदत आरोप-प्रत्यारोप लगाने की है और न ही किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसका प्रचार करने की मेरी आदत है, जैसा कि मेरे दोस्त जो उधर बैठे हैं वे रोज किया करते हैं। बहुत से तथ्यों को, जिनका मैं यहां जिक्र करना चाहता था, उनका माननीय देसाई जी ने जिक्र कर दिया है। मान्यवर, इस सदन ने समय-समय पर आवश्यकता श्री परिस्थितियों के अनुसार अनेक कानून बनाये हैं, अनेकों कानूनों में संशोधन किया है और अनेकों कानून रद्द किये हैं। आज कजो यन् संशोधन लाया गया है प भी उस प्रक्रिया की एक कड़ी है। मान्यवर, आप सबको मालूम है कि आज इस देश की और वर्तमान केन्द्रीय सरकार की अर्थ-व्यवस्था पूर्णरूप से चरमारा रही है श्री इसकी हम सबको चिन्ता है, सारे राष्ट्र को चिन्ता है। लेकिन क्या टैक्स लगाने से अर्थ व्यवस्था में सुधार हो जायेगा ? यह संभव नहीं है। देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये टैक्सेशन के अलावा हमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से बहुत से नये या क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे।

मान्यवर, अभी दो-तीन दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई थी। मैंने उसमें अपनी....

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की कंसल्टेटिव कीज कमेटी बात यहां नहीं कर सकते।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं यहां पर क्या बात हुई उसका उल्लेख कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप उसका उल्लेख कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयालसेसिंह) : माननीय सदस्य केवल उसका उल्लेख कर रहे हैं। अगर वे उसमें हुई किसी बात का उल्लेख करेंगे तो मैं उन्हें नहीं कहने दूंगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वे कहते जा रहे थे।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं नहीं कहता। मैं सीखने के लिये तैयार हूँ और जो कुछ गलती भी होती है उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूँ। कभी गलती भी हो जाती है।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है अगर आज की सरकार की नीयत बन जाय। हमारे देश में लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर पड़ी हुई है। आज अगर उस जमीन में अपनी सारी शक्ति और साधन उसको उपजाऊ बनाने में, समतल बनाने में, पानी पैदा करने में लगा दें तो एक तो देश की उपज बढ़ेगी और दूसरा लाखों बेरोजगार युवकों को काम मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या हल होगी। इस प्रकार से देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। हमारे देश का एग्रीकल्चर प्रोवक्शन जो है जो कृषि की पैदावार है ऐसा करके उसको दबाया जा सकता है। मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि अभी दुनिया का एक बहुत बड़ा राष्ट्र जिसने वैज्ञानिक

और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में बड़ी तरक्की की है। पत्ते के अभाव में भूखी मरने लगा और सारी दुनिया के सामने उसे हाथ फ़ैलाने पड़े। अगर हम गल्ला अधिक पैदा करते हैं, वृषि की पैदावार बढ़ाते हैं, दलहन और तिलहनों को पैदा करते हैं तो हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर तो होंगे ही साथ ही हम अन्न का निर्यात भी कर सकते हैं।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न हमारे सामने यह है कि हम अपने देश का आर्थिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएँ। सरकार द्वारा 45 हजार करोड़ रुपया, ऐसे उद्योगों के ऊपर जो सिक हो गये हैं, उसको फिछली सरकारों को छोड़ना पड़ा और हम केवल मांग कर रहे थे अनुसूचित जाति और जनजाति के हजार-बारह सौ करोड़ रुपये की छूट की, उसको नहीं किया। कैसे लोगों को उद्योगों के लाइसेंस दे दिये गये जो न तो टेक्नोक्रेट्स थे और न टेक्निकल हैड्स थे और न विनेज आयोजन थे। उन्होंने सारा पैसा डम्प कर दिया। आज जो देहातों में रहने वाले विलेज आर्टिजन हैं, कुम्हार जिनको वेस्ट पोर्टल कहते हैं, जो टिम्बर का काम करते हैं जिनको बढ़ई कहा जाता है और जो मोची जूते बनाने का काम करते हैं, जुलाहे जो कपड़े का काम करते हैं इनको अगर देहातों में कुटीर उद्योग धर्मों में लगा कर के उधर पैसे को डाइवर्ट करें, उनको ट्रेनिंग दें तो देहातों में इम्प्लायमेंट भी लोगों को मिल जाएगा और पैदावार भी बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज सिक भी नहीं होंगी तथा पैसा डम्प भी नहीं होगा। इसके साथ साथ देहातों से जो बड़ी तादाद में लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं और आबादी का बोझ शहरों में बढ़ कर समस्या पैदा कर रहा है वह भी बक जाएगा। तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि टेक्सेशन के बारे में होना तो यह चाहिये था कि एक कम्प्री-हेंसिव बिल सरकार की तरफ से लाया जाता, आज आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का सरलीकरण किया जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से टेक्स अदा करते हैं। प्रोफेशनल लोग जिनमें ज्यादातर वकील और डाक्टर आते

हैं बहुत कम लोग अपने आप स्वेच्छा से टेक्स अदा करते हैं। जहाँ तक वेतनभोगी कर्मचारियों का सवाल है उनके वेतन से ठीक तरह से टेक्स अदा हो जाता है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की न तो जरूरत है और न ज्यादा कर्मचारियों को लगाने की आवश्यकता है और न पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। जहाँ तक कम्पनियों का सवाल है, मान्यवर, बहुत सी कम्पनियाँ ऐसी हैं जो विदेशों में काम कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्स की चोरी बहुत हो रही है। अगर टेक्स की चोरी रोकी नहीं गई तो फिर इन टेक्सों के लगाने का कोई लाभ नहीं होगा। टेक्स की चोरी विदेशों से कैसे रोकी जा सकती है। हमारे जो टेक्स अधिकारी हैं जो हमारा टेक्स प्रशासन हैं इनकी वहाँ तक एप्रोच नहीं हो पाती, तालमेल नहीं हो पाता यह आसनों से अपने कानून और नियमों के अनुसार उनका लेखा-जोखा पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर पाते और इस तरह टेक्स की बहुत चोरी होती है लिहाजा इस तरह के कानून बनाएँ कि जो दो राज्य हैं उनके बीच में इस तरह का तालमेल हो और हमारे अधिकारियों को इस बात का पूरा अधिकार हो कि उनके कागजातों का और प्रिम्सेज का अवलोकन कर सकें। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि टेक्सों की वसुली बहुत कम हुई। आप जानते हैं कि हमारे देश में डिस्ट्रिब्यूशन रही, ला एंड आर्डर की समस्या रही, इम्प्लाइज हड़ताल प रहे। लेकिन मैं अपने मित्रों से एक बात कहना चाहता हूँ आज जो देश में काम नहीं हो रहा है किसी भी क्षेत्र में उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ की जो सरकारें हैं उनके स्थाइल में लोगों का विश्वास नहीं रहा है। शासक का को भय नहीं रहा है। इसलिए प्रशासक कोई काम नहीं करते हैं। जहाँ शासक का भय होगा वहाँ प्रशासक भी काम करेगा। इसके लिए हमारे कांग्रेसी भाई भी जिम्मेदार हैं यहाँ जो अस्थायी सरकारें हैं उनको बनाने में उनका भी योगदान है। इसलिए आज इस विश्वास को पैदा किया जाए तब यहाँ के सरकारी कर्मचारी काम करेंगे। मैं तीन चार सुझाव देना चाहता

(श्री सच प्रिय गौतम) हं ।

नम्बर एक, जो कर्मचारी टेक्सों की वसूली करना चाहते हैं, मैं सब से पहले उनके हित की बात कहता हूं। सबसे पहले उनकी सुरक्षा की गारंटी की जाए। मुजफ्फर नगर में आपने देखा कि क्या हुआ, अधिकारियों की क्या दुर्गति हुई, उनको मारा गया, पीटा गया। दूसरे जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और टेक्सों की वसूली जल्दी और ज्यादा करते हैं उनको प्रोन्नत व इनाम दिया जाए। जो अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में कोताही करते हैं उनको दण्डित किया जाए। इसके अलावा जिनके खिलाफ टेक्स को चोरी एक बार साबित हो गई है दोबारा यह प्रिज्यूम किया जाए कि उन्होंने चोरी की है। इसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी हमारे कर प्रशासन पर न हो। तीसरी बात कस्टम एक्ट की तरह से इस एक्ट में इनकम टेक्स एक्ट में जितनी हिडरेंस पैदा होती है उनको प्रोसेक्यूट करने में उनको दूर किया जाए और मीवाइल अदालतों को यदि आवश्यकता पड़े तो वह भी स्थापित की जाए और उनको देन एंड देयर सजा देनी हो तो सजा दी जाए। इन चंद अल्फाज के साथ मैं बड़े बोझ के साथ इस बिल का समर्थन कर रहा हूं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) :
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वित्त उपमंत्री द्वारा फाइनेंस एक्ट, 1990 और इनकम एक्ट, 1961 में संशोधन के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता थी क्योंकि देश की अर्थ-व्यवस्था इस समय चरम पर रही है और खाड़ी संकट के कारण देश के समक्ष विशेष परिस्थितियां संसाधन जुटाने के लिए पैदा हुई हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार अपनी अर्थव्यवस्था और अपने संसाधनों का पुनरीक्षण करे क्योंकि कर्ज लेकर और टेक्स के जरिये सरकार या देश चलाने से देश का संकट कभी दूर नहीं हो सकता, आर्थिक संकट हमेशा बढ़ता जाएगा और जो भी सरकार रहेगी, हमारी रहे या किसी की रहे, उसको

बराबर इस तरह के टेक्स लगाने पड़ेंगे। मैं अर्थशास्त्र की गणित नहीं जानता हूं, मान्यवर, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि देश के अंदर उत्पादन बनाने का काम नहीं किया गया है। देश के अंदर और दुनिया के अंदर जितनी भी सम्पत्ति और दौलत है वह जमीन के अंदर से निकलती है। जो देश जमीन के अंदर से इसको निकालने का काम करता है वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है। गलतियां हुई हैं। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन धरती के अंदर जो दौलत है, चाहे अनाज की शक्ल में हो, चाहे फल, लोहे और कोयले की शक्ल में हो उसको निकालकर ही देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ये गलतियां हुई हैं क्योंकि देश में बड़े कारखाने लगावे की कोशिश की गयी। कारखानों से सम्पत्ति, दौलत नहीं पैदा होती है, कारखाने तो शक्ल बदलते हैं। जमीन से लोहा निकालने पर घड़ो और साइकिल बन जायेंगी। कोई वृद्धि नहीं होती है देश की अर्थव्यवस्था में, वृद्धि तभी होती है जब धरती के अंदर जो दौलत छिपी हुई है उसको निकालने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि जो सीमित संसाधन हैं उन संसाधनों को आप धरती से उत्पादन बढ़ाने के लिए लगायें।

दूसरा निवेदन सरकार से करना चाहूंगा कि फिजूल खर्ची को आप कम करें। बार बार कहा जाता है कि इस देश में फिजूल खर्ची बहुत है। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो इस देश में प्रौढ़ शिक्षा चलायी जा रही है। अस्वी-अस्वी रुपये का बजट है लेकिन आप भी जानने होंगे, जिस प्रदेश से आये हैं वहां शिक्षा की कमी है, इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी जानकारी में एक भी अक्षरी शिक्षित नहीं होता और न हस्ताक्षर करना सीख पाता है। लेकिन सारी व्यवस्था नीचे से ऊपर तक, केन्द्र सरकार से लेकर गांव गांव तक ऐसी बनी हुई है कि अक्षरों रुपया पानी की तरह से बह रहा है। सरकारी कर्मचारियों या उसमें काम करने वालों पर सारा का सारा पैसा नाजायज चला जा रहा है। इस

तरह के जो अनुवादक खर्चे हैं जो बेकार खर्चे हैं इनको रोकना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार ने जवाहर योजना चलाई थी, हम सब लोगों ने साथ दिया था। मैं उस योजना का विरोधी नहीं हूँ, उस योजना की भावना का विरोधी नहीं हूँ लेकिन उस योजना का दुरुपयोग हो रहा है, जिस भावना से वह योजना चलाई गयी थी आज वह योजना उस मायने से कामयाब नहीं हो रही है। उसमें भी धन पानी की तरह से बह रहा है। किसी गांव में सड़क नहीं बनी रही, स्कूल नहीं बन रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने ये केवल दो उदाहरण दिये हैं, ऐसे पचासों काम हैं जिनमें सरकार का व्यय होता चला जा रहा है और कांग्रेज पर विकास के आंकड़े तैयार हो रहे हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था चरमारा रही है और सरकार टैक्स लगाने के लिए या कर्जा लेने के लिए मजबूर हो रही है।

तीसरा इस संबंध में मेरा निवेदन होगा मान्यवर ठीक है टैक्स बढ़ाये जा रहे हैं कर्जा लिया जा रहा है लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पैसे का सदुपयोग हो और वह तभी होगा जब उत्पाद के कामों में इसको खर्च किया जाएगा। पैसा अनुत्पादक कामों में खर्च किया जा रहा है।

इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि देश का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आपके सीमित संसाधन हैं, इनको खर्च करिए।

(उपसभापति पीठासीन हुईं)

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, टैक्स बढ़ाने से जो धन की प्राप्ति होगी उससे ज्यादा काला धन आपके देश के अंदर है। इस काले धन को निकालने की आप कोशिश करें और इंकमटैक्स की जी चोरी हो रही है, उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपके संसाधनों में कुछ वृद्धि हो सकेगी, कुछ इजाफा हो सकेगा। (समय की घंटी)

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदया, तीन बजे प्रधान मंत्री जी को बयान देना है, इसलिए मैं तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपसभापति : चार मिनट में बोल दीजिए।

श्री शंकर दयाल सिंह : हमारे सामने टैक्सेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिल आया है जिसके बारे में सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया जी ने शुरू में ही बहुत अच्छी बात कही कि इस देश पर कर लाद कर हम लोगों की और तबाही बढ़ा रहे हैं।

मैं सरकार से केवल तीन-चार बा इस संबंध में कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि इस देश का दुर्भाग्य ही ऐसा रहा कि जो भी हमारा आर्थिक निष्पादन हुआ या योजनाएँ बनीं उनके लिए बराबर हमने विदेशी तकनीक को अपने सामने रखा। मैं नहीं जानता कि देश के किसी मंत्री ने कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र पढ़ा है। मैं अपने छोटे भाई, जो उप-मंत्री के रूप में यहां बैठे हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी, उनसे यह अनुरोध करूंगा कि आज जब सदन का सत्र समाप्त हो जाए, तो कल वह पहला काम यह करें कि वह कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र पढ़ें।

इसा से तीन सौ साल पहले कौटिल्य ने जो अपने अर्थ-शास्त्र में अर्थ-व्यवस्था निष्पादित की थी, शायद हमारे देश ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। आठ सौ वर्ष तक देश में वही अर्थ का क्रम चला, लेकिन बारहवीं और तेहरवीं शताब्दी में, या उसके पहले ग्यारहवीं शताब्दी में, जब अलाउद्दीन खिलजी का जमाना आया, उस समय से यहां का अर्थतंत्र गड़बड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी को जब एकबेक महसूस हुआ कि उन्हें अपनी बहुत भारी फौज के लिए बहुत रसदो-सामान जमा करना था और उस समय से ही यहां कुछ आर्थिक रूप में महंगाई बढ़ी है।

उसके बाद जब मुहम्मद तुगलक यहां आए और दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद दिल्ली, उनका जो क्रम शुरू

[श्री शंकर दयाल सिंह]

हुआ, उस समय से टैक्सज भी बढ़ाये गये और मूल्य भी उस समय से बढ़े। लेकिन मुगलों के जमाने में—मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीजों को सरकार को क्रमबद्ध देखना चाहिए। मुगलों के जमाने में जब अकबर का शासन हुआ और जब टोडरमल जैसा व्यक्ति उनका वजीर-आजम हुआ, उस समय आप शासन व आर्थिक व्यवस्था को उठा कर देख लें तो उन्होंने क्रमिक रूप से देश के अर्थ तंत्र को कसावट प्रदान की। पहली बार उन्होंने भूमि सुधार किया तथा आर्थिक पैमाने का, तौल और नाप का बढ़िया ढंग से इजाजत किया।

उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में जो उनकी पद्धति चली, आज हम फिर उसी पद्धति के सहारे चल रहे हैं। (समय की घंटी) आज्ञादी के दस वर्षों तक मूल्यों की वृद्धि नहीं हुई। ज्यों-ज्यों मूल्यों की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों यह देश तब ह होता है और मूल्यों की वृद्धि तभी होती है, जब कर के द्वारा आप अपनी अर्थ-व्यवस्था को संभालने की कोशिश करते हैं।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप करो का बोझ न डालें। आठ प्रतिशत से बारह प्रतिशत जो आपने कर किये हैं, उसको वापिस लेकर आठ प्रतिशत पर लायें। फजूलखर्ची बंद करें। सरकार को सादगी से चलाने का काम करें और साथ ही साथ जहां आपकी बकाया राशि है बड़ी-बड़ी फर्मों में, हमारे भाई ने ठीक ही सूचना दी थी... उन सब को आप वसूल करें। छोटे करदाताओं से आप मुक्त की आर्थिक व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो बड़े-बड़े चोर जो हैं जो आर्थिक चोरी करते रहे हैं और जिन के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपने शासन काल में और जब वे इस देश के फाइनांस मिनिस्टर ने उस समय उन्होंने जो कुछ भी कड़ाई की थी उस समय हमारी अर्थ व्यवस्था एक लीक पर आ रही थी। मुझे दुख है कि फिर वह चरमराने लगी है। भाई अहलुवालिया जी ने बहुत भाषण दे दिया, उनके भाषण का अधिकांश ऐसे रहता ही है और हम लोग भी सुन लेते हैं लेकिन वह भी बेचारे

जानते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन इस सदन को और देश को इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब देश के वित्त मंत्री थे, जब प्रधान मंत्री थे, उस समय उन्होंने जो कसावट लाई, एस०बी० चव्हाण सहब जब हमारे वित्त मंत्री थे उन्होंने भी कसावट लाई और एक बात और है... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do not interrupt.

श्री शंकर दयाल सिंह : लेकिन मैं वह भी कहना चाहूंगा कि इस देश के वित्त को दिशा देने का भार राज्य सभा को ही रहा है। अधिकतर जो है इसी सदन ने इस देश की चरमराती अर्थ व्यवस्था को गतिशीलता और प्रगति दी है। इसी सदन में नारायण दत्त तिवारी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री एस०बी० चव्हाण, प्रणव मुखर्जी जैसे वित्त मंत्री हुए। खुश की बात है कि आज भी यशवन्त सिन्हा जी भी उसी कुर्सी पर बैठे हैं और वित्त मंत्री हैं। इसलिए मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि कर बढ़ा कर आप देश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश जो कर रहे हैं उस की जगह पर फिजूलखर्ची हटा कर सुधार ला कर करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. M. A. Baby. Please be brief. It was decided that... (Interruption).

SHRI M. A. BABY (Kerala): I won't take even the time allotted to me. I won't take that much time.

I thank you very much, Madam, for having permitted me to speak on this topic. Moreover, two hon. friends of mine are sitting opposite to me as the Minister for Finance and the Deputy Minister in charge of Finance. This is a proposal which we support. But, while supporting

this proposal, I would like to make two or three suggestions. The first is that the surcharge... (*Interruption*).

SHRI T. R. BALU (Tamil Nadu): Madam, the Prime Minister has said ... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I just wanted to tell you that the Prime Minister came. But, everybody, for the last three days, was wanting a resolution on the Gulf situation. So, to come to a proper resolution, the leaders of the various Opposition parties and groups are meeting in the other House. He came here. But he thought he would finish that work. As soon as he finishes that, he will be here. Meanwhile we won't waste the time of the House and we will finish this. He will come. That I can assure you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Madhya Pradesh): Our leaders are meeting in the other House!

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not know. Atalji, some leaders, Opposition leaders, are meeting, perhaps, of the other House. (*Interruptions*). That is the letter I have received from Mr. Malaviya. No names of the leaders have been mentioned. He says that at present, he is busy with the meeting of the Opposition leaders of the other House. So, he will come back. Meanwhile, we will finish some business.

SHRI M. A. BABY: When we support this proposal for the surcharge of 12 per cent, on the one hand; I suggest that the surcharge may be merged in the tax-rate. And, on the other, there can be progressivity of surcharge. If it is 12 per cent for Rs. 75,000/- it can be, say, 20 per cent for Rs. 3 lakhs and like that. This should also be kindly considered. This is the second proposal I would like to make.

Thirdly, Madam, a fresh look at the whole taxation policy is required. If you look at what had happened since our First Five-Year Plan, the indirect

tax used to be more than the direct tax. When started, the ratio was somewhat balanced, but later on, the direct tax has become less and the role of indirect tax in Government revenue has gone up and I need not have to say what is the result of this? The main burden of indirect tax goes on the common masses of people. So in relation to this particular discussion, I do not know whether this Government holds a mandate to have a fresh look at such major perspective question, but if still this Government is willing to have a fresh look at this question and if this Government is willing to reverse the order, we would only be happy to support that.

Thirdly, I would like to extend my support to the formulation made by hon. Mr. Jagesh Desai. When fresh taxation proposals are being made, it should not be at the expense of the possible revenue of the State Government. The hon. Shri S. B. Chavan is here. When Shri Chavan was the Chief Minister of Maharashtra, the powerful argument, the tight rational argument that S. B. Chavan Ji had put forward, "I endorse all these proposals." But later on, when Chavan Ji became the Finance Minister, unfortunately, he did not stand by his argument. So this I would like to reiterate.

Finally, Madam, I would like to know in this particular context of the Gulf crisis getting accentuated, whether the Government is working on a long term perspective approach towards how are we going to cop up with the gigantic crisis that would be thrown up if something unfortunate happens in the Gulf area. Thank you very much.

उपसभापति : अहलुवा लिया जी, पहले आप बोलेंगे । The mover will speak first. संक्षेप में ही बोलिए । और जगह बोल लीजिए ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले भी

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

कह चुका हूँ कि आर्टिकल-123 के तहत आर्बिनेंस पास कर के टाइम-टू-टाइम अपने देश की आर्थिक अवस्था में सुधार लाने के लिए टैक्स बढ़ाने का दूसरा अर्थ, टैक्स चोरी करना सिखाना है क्योंकि जब-जब आप टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स चोरी की घटनाएं बढ़ती जाएंगी।

महोदया, गौतम जी ने अच्छा सुझाव दिया कि देश की कृषि अवस्था को मंटे नजर रखते हुए हम कृषि उत्पादन बढ़ाएं जिससे कि देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़े और कृषि उपज के माध्यम से हमारी घरेलूी सोना उगलती है तो उसका भी हम एक्सपोर्ट कर सकें और कुछ फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें। वह एक अच्छा सुझाव था। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर गौर करेगी। पर उसके साथ-साथ जब हम एक कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान क्षेत्र के मुद्दे यहां उठाते हैं तो विदेशी तत्त्व हमें कमजोर करने की बात सोचती हैं। हमारे कृषि प्रधान क्षेत्रों में संप्रदायवाद और अलगवाद का बोलबाला नकसलवाद शुरू कर देती है और ऐसी-ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कि हमारी कृषि उपज कम हो जाय और जिससे हमारी राष्ट्रीय आय पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, ऐसे रास्ते भी अपनाए जाते हैं।

उपस्थित महोदया, मंत्री महोदय जब कल इस सदन में बोल रहे थे तो इन्होंने कहा था कि जो अभी आर्थिक व्यवस्था चरबरा रही है, इसका मुकाबला करने के लिए एन०आर०आई० यानी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं और जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है, उनसे डिपॉजिट लेने के बारे में भी सोचा जा रहा है। उनकी मदद ली जाय, वे यहां आकर बसें, इस पर भी सोचा जा रहा है। मुझे पता लगा है कि कुछ ऐसा भी प्रस्ताव आ रहा है कि उनकी डुम्रल सिटीजनशिप दी जाय और डुम्रल सिटीजनशिप देने के लिए कुछ डिपॉजिट्स उनसे भी लिए जाएं ताकि यहां की स्थिति सुधारने में कुछ आर्थिक सहयोग उनसे भी मिल सके और जो वे हमारी प्राबल्लस हैं, इनको ओवरकम कर सकें। पर महोदया, मैं मंत्री महोदय से

जानना चाहूंगा कि आखिर इस गल्फ क्राइसिस को फेस करने के लिए, गल्फ क्राइसिस के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अवस्था को फेस करने के लिए हम कभी गोल्ड का रिबेल्डूशन कर रहे हैं, कभी एन०आर०आई० का डिपॉजिट ले रहे हैं, कभी सरचार्ज ले रहे हैं। आखिर हम कहां जाकर खड़े होंगे? इसका अंत कहां होगा? आखिर हम यह क्यों नहीं सोचते कि जब हम कम्पनियों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर कॉस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और अल्टीमेटली स्पायरल प्राइस राइज के रूप में एक और विकराल रूप लेकर हमारे सामने, जनता के सामने आएगा; उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? दिन-प्रतिदिन टैक्स बढ़ाकर....

THE DEPUTY CHAIRMAN: I see Mr. Ramachandran and Mr. Balu sitting together. That means it was a made-up fight in the morning. They fight in the well and they are sitting together! I notice that.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Something very serious.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Honey-moon.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I hope the reflection would be when the Prime Minister comes to the House, everybody will listen to him in peace.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि यह तो अभी के हालात में जब संकट खड़ा नहीं हुआ गल्फ का, वहां सिर्फ दो दल एक दूसरे के सामने खड़े हैं बंदूक ताने, तब यह अवस्था हो रही है, अगर वहां गोलियां चल गईं या अगर न्यूक्लियर बम छूट गए या कैमिकल्स वीपन्स का उपयोग हो गया तब आर्थिक अवस्था को संभालने के लिए आपने कोई कंटीजेंसी प्लान बनाया है? आपने उस अवस्था का सामना करने के लिए कोई इकानामिक पालिसी बनाई है? या फिर

आप उन्हीं कर दातव्यों पर और अधिक कर ठोक कर उनसे और टैक्स के रूप में क्लेश करके अपनी सरकार चलाएंगे ? आप जरा इस बात को क्लेश करके सदन के सामने रखें कि आखिर कहां तक इस देश की जनता अपने टैक्स पर और अपने हिस्सों से काटकर देती रहेगी ? आप एक कंप्रीहेंसिव टैक्सेशन प्लान लेकर आइए । आप एक्सपेंडिचर टैक्स क्यों नहीं लगाते ? जहां एक एप्लायुएंट क्लेस सोसाइटी के हाथ से ही आप टैक्स लें और कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, कालगेट कम्पनी पर अगर टैक्स और सरचार्ज बढ़ता है तो एक कालगेट ट्यूब का भी दाम बढ़ता है और वह कालगेट एक गरीब अमीर, रिक्सा पुलर को भी परचेज करनी पड़ती है जबकि उसके रिक्शे का भाड़ा नहीं बढ़ता है ।

तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसका विरोध किया है और मैं समझता हूँ कि मुझे मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि आगे आने वाले दिनों में अगर ऐसी अवस्था आ गई तो कम से कम नौकरीपेशा और गरीब मेहनतकश लोगों पर भार नहीं होगा और अटिकल-123 का दुरुपयोग करके उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा । धन्यवाद ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विविजय सिंह) : माननीय उपसभापति महोदया, जो बातें मेरे इस बयान पर कही गई हैं, उन सारी बातों को देखते हुए दो-तीन बातें मुख्य रूप से उभर कर सामने आई हैं । जगेश देसाई जी ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और उन सुझावों की तरफ हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि कैसे उनकी पूरा किया जा सके । यह बात सही है कि जब हम लोगों ने सत्ता संभाली थी, तो रिवेन्यू कलेक्शन का काम उम्मीद के हिसाब से नहीं हो रहा था, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों में डायरेक्ट टैक्स के उन सारे टारगेट्स को पूरा कर लिया गया है जो हज़ारी सीमा के अंदर थे । इसके अंदर एक और बड़ी बात हुई जिसका जिक्र दो-चार भित्तों ने किया था, माननीय सदस्यों ने

किया था, वह था हमारे टैक्स के रेट्स के बारे में । यह बात सही है कि राज्य सरकारों से जो मदद मिलनी चाहिए थी कानून और व्यवस्था के तहत, उसके नहीं मिलने की वजह से.... (व्यवधान)....

SHRI JAGESH DESAI: Sir, for the last four or five months the previous Government has stopped making raids.

श्री विविजय सिंह : मैं वही कह रहा था कि जो मदद मिलनी चाहिए थी रिवेन्यू कलेक्शन के इस काम के लिए, वह मदद नहीं मिल पा रही थी । इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे रिवेन्यू कलेक्शन में कमी आ गई । हम लोगों ने सबसे पहला काम किया है । वित्त मंत्रीजी जी यहाँ नहीं हैं । स्वयं वित्त मंत्री जी ने और हम सभी लोगों ने मुख्य मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके समस्याओं का निदान निकालने के लिये प्रयास किया । हम राज्यों की राजधानियों में गये । मुख्य मंत्रियों से कहा कि अगर आप इसमें हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम मजबूर हो जायेंगे कुछ ऐसे कदम उठाने के लिये जिनको आप पसंद नहीं करेंगे । उसका नतीजा यह निकला कि राज्य सरकारों की मदद हमें मिल रही है ।

इस टैक्स कलेक्शन के संबंध में एक बात और बताना चाहूंगा, खासकर उत्तर प्रदेश में यह घटना बहुत घट रही है । व्यापारी लोग संगठित होते जा रहे हैं । रेड पड़ने की सूचना या जातकारी वहाँ मिलती है तो उस बाज़ार में हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नतीजा यह होता है कि आयकर के जो हमारे कर पदाधिकारी वहाँ पर जाते हैं उनको वहाँ के लोगों का गुस्सा, पत्थर आदि तमाम चीजों को झेलना पड़ता है । हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से वहाँ के मुख्य मंत्री से इस बारे में बातचीत की है, आश्वासन मिले हैं और कुछ प्रयास आज नज़र आ रहा है । इसलिये हम यह कर रहे हैं कि इस दिशा में जल्दी से जल्दी राज्य सरकारों की मदद से इस काम पर कामयाबी पायें ।

[श्री दिग्विजय सिंह]

दूसरी बात जो आपने कही थी, वह अच्छी बात है कि जो आबस्टैक्स पेयर्स हैं और जो टैक्स छिपाते हैं उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुये मैं आपसे गुजारिश करता चाहूंगा कि सरकार उन अच्छे टैक्स पेयर्स के लिये जो समय से और नियम से टैक्स पे कर रहे हैं उनकी इज्जत टैक्स बिपार्टमेंट में बढ़ाकर रखेगी और जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके साथ किसी भी किसम का रस्मी और गैर रस्मी कोई भी सख्तता सरकार करने को तैयार नहीं है, जिससे हमारे टैक्सेशन सिस्टम पर उसका कोई असर पड़े। एक बात और जो आपने उठायी थी, वह थी डिप्रिसेशन के बारे में। अब यह बात सही है कि मजबूरी तो है, आपकी बात में बहुत ज्यादा दम है। लेकिन यह सिर्फ एक साल के लिये हड़ने लगाया है। समय और व्यवस्था दोनों की सीमा ने हमें मजबूर किया है इस तरह की व्यवस्था का समर्थन करने के लिये और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्दी इन चीजों से निकलकर आगे आने वाले दिनों में इस तरह के काम को नहीं करेगी और इस तरह का टैक्स लगाने नहीं जा रही है।

एक बात और जो अहलुवालिया साहब ने कही थी, 75 हजार रुपये के बारे में। अब अगर इसका ग्राँस इंकम जोड़ा जाये तो वह एक लाख रुपये होता है। हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था के बारे में संसद के दोनों सदनों में लोगों ने सामान्य रूप से स्वीकार किया है कि हालत खराब है और अगर हालत खराब है तो जो लोग एक लाख रुपये सालाना की आमदनी करते हैं अगर उन पर थोड़ा सा टैक्स बढ़ाया गया तो हमने कोई ज़्यदती नहीं की। इह गरीब देश में जिसकी पर केपिटल इंकम जिसकी जानकारी आप सारे लोगों को है, उस देश के अंदर अगर एक लाख लोगों के ऊपर थोड़ा सा सरचार्ज लगाया गया है... (व्यवधान) फिलहाल का तो आपको तही बज़ा सकता लेकिन जितना है, वह आपको मालूम है, दो हजार, तीन हजार रुपये से ज्यादा तो है नहीं। तो उस हालत में अगर वह

सरचार्ज लगाया गया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको स्वीकार करेंगे और संसद के सामने इस बात को फिर से विश्वास में हम लोग रखते हुये आपसे गुजारिश करेंगे कि इस सारे के ऊपर ध्यानपूर्वक आप विचार करेंगे। गौतम जी दो-तीन बात कहीं... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने शायद मेरे सवाल को गलत समझा। मैंने इनको कहा कि यह शुरूआत हुई है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के ऊपर सरचार्ज लगने को। आज यह 75 हजार रुपये वालों के ऊपर लग रहा है, कल हो सकता है कि 50 हजार वालों और 35 हजार वालों के ऊपर आ जाये। तो मैंने आपसे यह एक्चुरेंस मांगा है कि कम से कम इसके नीचे जो मेहनतकश लोग हैं और ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, जिनका एट दि स्पांट इंकम टैक्स काट लिया जाता है उन पर दबाव न आ जाये। यही आश्वासन मैं चाहता हूँ और उन्हीं की आवाज़ बुलंद करने के लिये मैंने इसका विरोध किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : जाहिर है कि प्रधान मंत्री जी ने भी, कहा, इसके बाद अब कोई टैक्स लगने नहीं जा रहा है। इसलिये वह काम तो नहीं होगा, यह आश्वासन मैं आपको देने जा रहा हूँ।

एक बात गौतम जी ने कही थी कि यह सरकार अस्थायी सरकार है इसलिये यह सारी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं। गौतम जी, माफ कीजिये, जिस सरकार को आपने स्थाई बनाया था उस सरकार के सामने ही इस सारी व्यवस्था में गड़बड़ी आयी।

श्री संघ प्रिय गौतम : वह भी आपकी ही थी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो आज भी इस अस्थायी सरकार को स्थाई मान रहा हूँ, आप में और मुझ में फ़र्क इतना है, और इस अस्थायी सरकार का जिस का जिक्र

आप कर रहे हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट की फाईल को उठाकर देख लीजिये, उनकी कार्य प्रणाली को उठाकर देख लीजिये, दो महीने में जो काम टैक्सेशन के बारे में हुआ है और जिस टारगेट को दो महीने में पूरा किया गया है वह काम 11 महीने में नहीं हो पाया था। इसलिये उस घटना का जिक्र मैं करना नहीं चाहता था लेकिन आपने एक ऐसी बात खड़ी कर दी यहां पर जिसके चलते मुझे इसका जिक्र करना पड़ा। श्री शंकर दयाल जी ने बहुत लंबे विचार रखे हैं। और कौटिल्य की किताब का उन्होंने जिक्र किया है, मैं उसको अवश्य पढ़ूंगा। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं...

(व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : “अर्थशास्त्र” और “आडने-अकबरी” आप जरूर पढ़िए।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने जो सुझाव दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद। आप ने कहा कि फिजूलखर्ची को रोका जाए। उसके बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था। फिजूलखर्ची को रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम अपने खर्च की सीमा को तय नहीं कर पा रहे थे और पैसे को जितनी गुंजाइश होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही थी।

श्री शंकर दयाल सिंह : सप्ताह में दो दिन आप गाड़ियां बिल्कुल बंद करवा दीजिए, फिर देखिए क्या होता है।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर सारे लोगों की यही राय होगी, तो वह भी हो जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। बेबी जी ने डायरेक्ट कस्ट और इन्डायरेक्ट टैक्स रेशियो के बढ़ने हुए रिश्ते के बारे में बताया। यह बात सही है कि जब शुरूआत हुई थी तो इतना फर्क नहीं था मगर अब कुछ फर्क आ गया है और उसकी वजह भी आपको मालूम है, डेवलपमेंट के और विकास के जो काम होते हैं उनकी वजह से इस तरह की

बात हो जाती है। अहलुवालिया साहब ने गल्फ सिचुएशन के कारण कंटेजेंसी प्लान के बारे में पूछा था। हमारे प्रधानमंत्री जी आज दोनों सदन में अपनी बात रख रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के सामने जो भी चुनौती आएगी, पूरा राष्ट्र इस बात का फैसला करेगा कि उसको कैसे स्वीकारा जाए। कुछ चुनौतियां तो छिपी होती हैं भविष्य के गर्भ में जिनके बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं होती। मगर यह देश हर समस्या को, हर तरह के बुरे दिनों को झेलने की क्षमता रखता है और मुझे यकीन है कि अगर आने वाले दिन बुरे भी माबित हुए तो देश की आंतरिक ताकत इतनी मजबूत है कि हम उन चुनौतियों को झेलने में सक्षम होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अहलुवालिया : जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना विरोध वापस ले लें और इस बिल को वापस कर दिया जाए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : क्या आप यह आश्वासन देते हैं कि 75,000 रुपए से नीचे सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह : जी हां, अब भविष्य में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभापति महोदय! जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 75,000 रुपए तक की स्लैब के नीचे यह सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा इसी संघर्ष में मैं मंत्री जी से यह भी गुंजायिश करूंगा कि सरचार्ज लगाने से यह सारा पैसा केंद्रीय सरकार के पास आता है और राज्य सरकार को उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता है। उनको भी कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रॉब्लम सिर्फ केंद्रीय सरकार की नहीं है राज्य सरकारों की भी है। उनके सामने भी तो आर्थिक विपत्ति है इसलिए उस विपत्ति का सामना करने के लिए उनको भी कुछ हिस्सा दिया

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह महलवालिया]

जाना चाहिए। मंत्री जी के आशवासन को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना रेजोल्यूशन वापस लेता हूँ।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Finance Act, 1990 and the Income-Tax Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE ASSAM APPROPRIATION BILL, 1991.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): Madam, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, the Bill authorises the payment of a sum of Rs. 32.56 crores, voted by the Lok Sabha on 10-1-1991,

and Rs. 0.29 crores charged on the Consolidated Fund of the State of Assam.

These amounts have been sought to cover the additional requirements in the current financial year. Full details of the provision are available in the Supplementary Demands circulated to the Members on the 27th December, 1990.

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, it was agreed upon that there would be no discussion in it and I ask the Members to pass it.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): We request that before the end of March, before the Monsoon, Government should conduct elections in Assam and also withdraw the army into the barracks before that date.

SHRI DIGVIJAY SINGH: We will take this into consideration.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Assam for the services of the financial year 1990-91, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.